राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2774/2024

मनु गोड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सोसल फोरेस्टीक, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.09.2024

आदेश की दिनांक : 15.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.09.2010 वन रक्षक पद के लिये जिला दौसा से अपीलार्थी ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा दिनांक 30.01.2011 को आयोजित की गई और उत्तीर्ण होने पर अपीलार्थी शारीरिक दक्षता के लिये पात्र घोषित हुई। तत्पश्चात् शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार के लिये चयन हुआ तथा तदुपरांत अपीलार्थी को अंतिम रूप से चयन किया गया। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में गडबडी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका

संख्या 5467/2011 प्रस्तुत की गई और आदेश दिनांक 11.11.2013 की पालना में शारीरिक दक्षता परीक्षा पुनः की जाकर अपीलार्थी को नियुक्ति दी गई। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 20.03.2014 को उपस्थित होने के लिये अंतिम पत्र प्रेषित किया गया तथा सफल होने पर अपीलार्थी को परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 26.05.2014 के द्वारा मेरिट क्रमांक 3 पर अंतिम रूप से चयन किया गया। 5 अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 10958/2020 प्रस्तुत की गई और जिन अभ्यर्थियों को वर्ष 2011 में नियुक्ति प्रदान की गई, प्रार्थियों को भी वरिष्ठता का लाभ देकर उनकी नियुक्ति भी वर्ष 2011 से मानी जावे और वास्तविक लाभ भी प्रदान किये जावें, उक्त रिट याचिका का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.2020 को यह आदेश दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे तथा प्रत्यर्थी विभाग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थीगण का मामला समान प्रकृति का पाये जाये तो प्रार्थीगण को भी वास्तविक लाभ प्रदान किये जावें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2017 को कार्यरत वन रक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 26.12.2022 को प्रत्यर्थीगण ने अपने आदेश क्रमांक 12210–16 को लिया गया, के अनुसरण में उनके नाम यथास्थान जोडकर संशोधित अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 44 पर दर्ज है। उक्त कार्मिकों को वास्तविक लाभ का एरियर भी प्रदान किया गया। सेवा के दौरान अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद के लिये आवेदन किया, जिसमें उसका चयन हुआ और वह अपना लियन अधिकार सुरक्षित रखते हुये राजस्थान सेवा नियम भाग 1 के नियम 15 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 28.03.2022 को कार्यमुक्त करने हेतु कार्यमुक्त किया गया और आदेश दिनांक 15.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को परोहितसर से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बरनाला, जिला सवाई माधोपुर पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी जब सेवा रिकार्ड के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय में माह जुलाई, 2021 में गई तब अपीलार्थी को उक्त वरिष्ठता सूची के निर्धारण की जानकारी प्राप्त हुई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलार्थी के साथ नियुक्त अन्य कार्मिक जिनको माननीय उच्च न्यायालय के

आदेशों की पालना में जो लाभ, परिलाभ दिये गये हैं, उक्त सभी लाभ अपीलार्थी को भी दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.09.2010 वन रक्षक पद के लिये जिला दौसा से अपीलार्थी ने आवेदन किया और लिखित परीक्षा दिनांक 30.01.2011 को आयोजित की गई और उत्तीर्ण होने पर अपीलार्थी शारीरिक दक्षता के लिये पात्र घोषित हुई। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य